फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकरलाल बनाम **विपक्षी : श्री उंकारलाल व अन्य**

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 18/25**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 12 की तामील विपक्षी संख्या 12 की बहू द्वारा प्राप्त की गई है जिससे विपक्षी संख्या 12 की तामिल माने जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन पाया कि विपक्षी संख्या 12 की तामिल विपक्षी संख्या 12 की बहू द्वारा प्राप्त करने की रिपोर्टिंग है। प्रकरण पत्थरगढ़ी से सबंधित है। अतः विपक्षी संख्या 12 की तामिल मानी जाती है। विपक्षी संख्या 1 से 13 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 14 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 14 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थी एव विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नही रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का सशर्त स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाना पटवार हल्का वाना तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 747 की आराजी न. 1240 रकबा 0.2900 है. भूमि, आराजी न. 3914, 3920, 3921 कुल किता 3 रकबा 0.7700 है. भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
?
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:43 IST
Reason: SelfAttested